an>

Title: Regarding huge financial loss suffered by farmers in the country due to unseasonal rain and hailstorm .

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण समस्या को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, विगत दिनों पूरे देश में और खास तौर से संपूर्ण उत्तर भारत में हुई बेमौसम बरसात, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की भारी क्षति हुई है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें द्वारा तरह-तरह के मुआवज़े की घोषणाएँ भी की गई हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों की मनमर्ज़ी एवं हठधर्मिता की वजह से क्षति का सही आकलन करने एवं मुआवज़े का वितरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से हमारे संसदीय क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा जो क्षति आकलन की रिपोर्ट दी गई है, वह पूरी तरह से भ्रामक, गुमराह करने वाली और किसानों के जले पर नमक छिड़कने वाली है। बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा क्षति की जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें मात्र तीन परसेंट क्षति के आकलन की रिपोर्ट दी गई है और श्रावस्ती में मात्र पाँच से दस परसेंट क्षति के आकलन की रिपोर्ट दी गई है। जबकि सच्चाई यह है कि गेहूँ और मसूर की जो फसल अनुमानित थी, वह घटकर चौथाई रह गई है। गेहूँ की जो फसल 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ होनी थी, वह घटकर चार-पाँच क्विंटल रह गई है। इसी तरह से मसूर की फसल जो 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ अनुमानित थी, वह घटकर दो से तीन क्विंटल रह गई है। इसी तरह से आलू एवं ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली फसलों में भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए क्षति का मानक 50 परसेंट से घटाकर 33 परसेंट करने का काम किया है और मुआवज़े की राशि बढ़ाकर डेढ़ गुना करने का काम किया है। ऐसे में नुकसान का गलत मूल्यांकन परेशान किसानों के साथ भद्दा मज़ाक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में नुकसान से और सदमे से जो किसानों की मौतें हुई हैं, मैं उसका एक चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)